कार्यालयः: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2021 / 199 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2022

यू0पी0नीट पी0जी0(एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा)–2021 एवं डी0एन0बी0–2021 के अन्तर्गत आवंटित अभ्यर्थियों की ऑन–लाईन प्रवेश प्रकिया के संबंध मे आवश्यक दिशा–निर्देश

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य / संस्थान के निदेशक / विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता तथा संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया नामित नोडल सेन्टरो पर करायी जायेगी, नोडल सेन्टर की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा अभ्यर्थियो के आवंटन पत्र पर भी नोडल सेन्टर के नाम अंकित है।

3. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, जमा किया जाना अनिवार्य है।

4. अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेख / जाति प्रमाण–पत्र आदि मूल रूप में प्रवेश हेतु आवंटित कालेज / नोडल सेन्टर पर जमा करना लाना अनिवार्य होगा।

5. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर महानिदेशालय की विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in / एन0आई0सी0 की वेबसाइट www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है।

5. ऐसे अभ्यर्थी, जो ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की राजकीय सीटों पर प्रवेशित है, तत्पश्चात् स्टेट कोटे की सीटों पर आवंटन प्राप्त होने की दशा में आल इण्डिया के माध्यम से प्रवेशित मेडिकल कालेज द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टेट कोटा की सीट पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को दिनांक 07.02.2021 तक समस्त अभिलेख मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सीट को रिक्त मानते हुये द्वितीय चक की काउंसिलिंग में सम्मलित कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

7. **आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मेडिकल कराये जाने की व्यवस्था कालेज स्तर पर बोर्ड का गठन कर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी, प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी का मेडिकल होना अनिवार्य है।**

8. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थी की प्रवेश प्रक्रिया महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति के आधार पर की जायेगी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सार्टीफिकेट भी द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

10. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अन्य पिछडा वर्ग (OBC Certificate) का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2021 अथवा इसके पश्चात् का बना हो मान्य होगा।

11. ऐसे अभ्यर्थी जिनका एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा तथा डी0एन0बी0 दोनो मे आवंटन हो गया है, वह अभ्यर्थी किसी एक ही पाठ्यक्रम मे ही प्रवेश ले सकते है।

12. यू0पी0नीट पी0जी0 2021 के संबंध मे नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 07.10.2021, ब्रोशर, राजकीय क्षेत्र की सीटो पर लिए जाने वाले शुल्क, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो के गैर–अल्पसंख्यक/अल्पसंख्यक संस्थाओं के शुल्क निर्धारण संबंधी प्रपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** पर उपलब्ध है।

13. प्रवेश के समय समस्त अभ्यर्थियो को कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

महानिदेशक